पत्रांक–05 / बी02–28 / 2015

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक, (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

निदेशक,
प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान,
वैशाली।

पटना, दिनांक .... /

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में आवंटन।**

महोदय,

मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–004–अनुसंधान, उप शीर्ष–0006– प्राकृत जैन शास्त्र अहिंसा शोध संस्थान, विपत्र कोड संख्या– एन 2202800040006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रू0 **28,47,000/–(अठाईस लाख सैतालीस हजार रूपये)** मात्र आपको आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या/ मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	0101–वेतन	0	998000	998000
2	0103–जी0या0भ0	0	1177000	1177000
3	0104–म0 कि0 भ0	0	199000	199000
4	0106–चि0 भ0	0	17000	17000
5	0107–अन्य भत्ता	0	8000	8000
	योग वेतन एवं भते:–	0	**23,99,000**	**23,99,000**
6	0201–मजदूरी	0	16000	16000
7	1101–यात्रा व्यय	0	33000	33000
8	1301–कार्यालय व्यय	0	41000	41000
9	1302–वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	0	13000	13000
10	1303–दूरभाष	0	8000	8000
11	1304–विद्युत प्रभार	0	8000	8000
12	1306–वर्दी / पोशाक	0	9000	9000
13	1601–प्रकाशन एवं मुद्रण	0	133000	133000
14	2002–कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार	0	50000	50000
15	2101–सामग्री एवं पूर्त्तियां	0	50000	50000
16	2702–अनुरक्षण एवं मरम्मत	0	33000	33000
17	2801–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0	44000	44000
18	3401–छात्रवृत्ति / वजीफा	0	10000	10000
	कुल योग :–	0	**28,47,000**	**28,47,000**

तत्काल आवंटित राशि **28,47,000/–(अठाईस लाख सैतालीस हजार रूपये)** मात्र।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 (वि0–2), दिनांक–17.04.1998 300(वि), दिनांक–08.05.2009, 295 दिनांक–24.03.2015 एवं 3429 दिनांक–01.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3 प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।

4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान–बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।

6. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।

9. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (उच्च शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।

10. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(एस0 एम0 करीम),
निदेशक (उच्च शिक्षा)

ज्ञापांकः– 10 पटना, दिनांकः– 21/4/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/अवर सचिव–सह–बजट पदाधिकारी/प्रशाखा–05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

21/04/15
(एस0 एम0 करीम),
निदेशक (उच्च शिक्षा),